B - For SR. No. 03

५०रु. सत्यमेव जयते भारत INDIA FIFTY RUPEES 50RS.

29 SEP 2000

पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख दिनांक 30-03-2001 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिसे आगे पट्टा कर्ता कहेंगे जिस अभिव्यक्ति मे जब तक विषय या सन्दर्भ से अपवर्जित न हो, पद मे उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकिति सम्मिलित है । एक पक्ष और दुसरे पक्ष मे केन्द्रीय विद्यालय संगठन सवाई - माधोपुर जिसे आगे पट्टेदार कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति मे जब तक कि विषय या संदर्भ मे अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी जो अभिहस्तांकिति सम्मिलित है, के मध्य किया गया है ।

यह कि पट्टा कर्ता, नीचे बताई गई शर्तों पर पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है:- (शर्तों के अनुरूप)

(1) यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण मे, पट्टाकर्ता एतद् द्वारा कथित भूमि दिनांक 28-3-98 से 99 वर्ष अवधि के लिए पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान की जाती है ।

(2) यह कि इसके पक्षकार आपस मे निम्नानुसार सहमत है :-

1. यह कि आवंटन निः शुल्क होगा ।
2. यह कि पट्टेदार की अवधि 99 वर्ष के लिए होगी । 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है । जिसके लिए आवंटित हुई थी, और उसी प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हुआ तो अवधि का आगे 99 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

(3) यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा

उप पंजीयक
सवाई माधोपुर

PRINCIPAL/प्राचार्य
KENDRIYA VIDYALAYA केन्द्रीय विद्यालय
SAWAI MADHOPUR सवाई माधोपुर
(RAJ.) 322 001

20/03/2001

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYAL
सवाई माधोपुर / SAWAI MADHOPU
पिन-322001 (राजस्थान / RAJASTH

B - For SR NO. 3

भारत INDIA FIFTY RUPEES ५०रू. 50RS. सत्यमेव जयते

:: 2 ::

31. 3. 2001 तक आवश्यक रूप से प्रारम्भकर दो वर्ष के भीतर भवन का संनिर्माण पूर्ण करने के लिए और उसे उस प्रयोजन के लिए उपयोग मे लाने के उत्तरदायी होगा जिसके लिए उक्त भूमि को आवंटित किया गया है ।

(4) यह भूमि राज्य सरकार मे निहित होगी ।

(5) आवंटित भूमि पर निर्मित भवन का उपयोग जनता के लाभ के लिए किया जावेगा आवंटित भूमि और उस पर निर्मित भवन का किसी भी रूप में विक्रय उप पट्टे पर दिया जाना या अन्तरण, आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नही किया जावेगा ।

(6) आरक्षित भूमि का उपयोग पुन: इस कार्यालय से आवंटित कराने पर किया जावेगा ।

(7) यह कि उपरोक्त शर्तों मे से किसी शर्त का उल्लघंन होने की दशा में उस भूमि पर बने हुए निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षति पूर्ति के राज्य सरकार मे निहित हो जावेगी ।

(8) यह कि खसरा नम्बर 155/1 रकबा 98 बीघा 18 बिस्वा चरागाह में से 15 ऐकड भूमि वाके ग्राम ठींगला मे शब्दों मे पन्द्रह ऐकड भूमि आवंटित की गई है । जिसका नामान्तरण नं0 51 के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया है नकल संलग्न है ।

इन शर्तों मे- इसके पक्षकारो ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर कर दिया है ।

उप पंजीयक
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर
पट्टेदार

(प्रिंसिपल)

30/03/2001

राज्य सरकार की ओर से
हस्ताक्षर
जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA
सवाई माधोपुर / SAWAI MADHOPUR
पिन-322001 (राजस्थान / RAJASTHAN